

भ्रष्टाचार का सरकारी कार्यालयों में प्रवेश एवं उसका परिणाम, रोकथाम

सारांश

भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो कोई भी सरकारी कार्यालय, चाहे पुलिस विभाग हो, या रेलवे, आयकर विभाग, बिजली विभाग, अस्पताल यहां तक स्कूल और कॉलेज में इससे अछूते नहीं हैं। एक आम आदमी को अपना छोटा सा काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का प्रभुत्व विषय रहा है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था। और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसम्बर, 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉ. रामनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। ‘सिहांसन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेर्झमान हो गया है। उतना दुनियाँ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है।’

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, सी.बी.आई., ए.सी.बी., आई.ए.एस., आयकर, पुलिस, चिकित्सक आदि।

प्रस्तावना

भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट+आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है। आचरण। अर्थात् भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है। वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है। भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में राजनीतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। इसके अलावा न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस आदि में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

भ्रष्टाचार को निम्न उदाहरणों से समझाया जा सकता है—

1. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की डूंगरपुर चौकी ने पटवार मण्डल वसी के पटवारी प्रवीणसिंह को दो हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पुनाली रिश्वत उसके निवास से धर दबोचा था पटवारी ने यह राशि वसी गाँव निवासी डॉ. पुष्णेन्द्र पण्ड्या से कृषि भूमि की खसरा, जमाबंदी, गिरदावरी तथा नक्शा ट्रेस की नकल देने की एवज में मांगी थी।
2. चौमू की राजकीय माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय के हैडमास्टर और बाबू को एसीबी कोर्ट क्रम एक के जज बलजीत सिंह के निवास पर पेश किया गया। जज ने दोनों आरोपियों को 13 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए। एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हैडमास्टर नवीन शर्मा और बाबू गिरधर को एक बी.एड. इन्टर्न से दो हजार रुपये की घूस लेते पकड़ा था।
3. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सिद्धमुख पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल गोविंद सिंह को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। हैड कांस्टेबल ने रिश्वत जब जीप छोड़ने, मामले में नामजद महिलाओं के नाम हटाने व क्रॉस केस दर्ज करने के लिए ली गई थी। हैड कांस्टेबल द्वारा 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। सौदा 30 हजार रुपये में तय होने के बाद सिंह ने 26 दिसम्बर, 20 हजार रुपये ले लिए बाकी दस हजार के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
4. एक लाख रुपये की रिश्वत लेते छबड़ा नगर पालिका की अध्यक्ष पिंकी साहू को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया। स्वायत्त विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने साहू को पालिकाध्यक्ष पद व पालिका की सदस्यता से गिरफ्तारी की तिथी से निलंबित किया था। साहू व उनके मनोनीत पार्षद पति जितेन्द्र साहू को एसीबी ने 9 नवम्बर को छबड़ा निवासी राजमल सोनी से कॉलोनी के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।



योगेन्द्र सिंह
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
वीणा मेमोरियल पी.जी.कॉलेज,
करौली, राजस्थान

5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) जयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक विंग ने आयकर अधिकारी विनय कुमार मंगला को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया था। ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि फरियादी सोहनलाल पिडावा के निकट स्थित पेट्रोल पंप के असेसमेंट के लिए एक माह से मंगला के पास चक्कर लगा रहा था। मंगला ने असेसमेंट के लिए कथित रूप से एक लाख रुपये मांगे, सोहनलाल एक लाख रुपये लेकर आयकर कार्यालय पहुंचा तो मंगला ने रुपये लेकर उसे अकलेरा रोड पर बुलाया और मंगला एक लाख रुपये लेकर रवाना होने लगा। तभी सी.बी.आई. की टीम ने अपना वाहन लगाकर रोक लिया तलाशी में मंगला के पास दो-दो हजार रुपये के 50 नोट बरामद हुए।
6. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की टीम ने सात लाख रुपये की रिश्वत लेते आयकर विभाग के अपर आयुक्त रेंज (द्वितीय) जयपुर बी.एल. यादव को गिरफ्तार किया। अपर आयुक्त ने बीबीरानी में एक एजूकेशन सोसायटी संचालक से एक इकरारनामे पर कार्यवाही नहीं करने के एवज में रिश्वत माँगी थी।
7. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने जलदाय विभाग की खण्ड परियोजना चाक्सू के अधिशासी अभियंता रामदास मीणा के आवास और प्रोपर्टी की तलाशी ली। इसमें उसके करोड़पति होने का पता चला। एसीबी ने विभाग से मिली शिकायत की प्रारंभिक छानबीन कर 23 दिसम्बर को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। ए.सी.बी. के आई. जी. सचिन मित्तल के अनुसार शिकायत मिली थी कि अधिशासी अभियंता रामदास मीणा ने 2.13 करोड़ की चल—अचल परसंपत्तियों स्वयं, पत्नि और बेनामी अर्जित कर रखी हैं। ए.सी.बी. के एएसपी नरपति सिंह राठोड़ ने बताया कि रामदास के आवास पर तलाशी में प्रोपर्टी के कई दस्तावेज़ मिले। इनमें राजनगर महारानी फार्म हाउस स्थित 420 वर्ग मीटर का आवास और गलर्स हास्टल है। हॉस्टल रामधन की पत्नी नंदिनी जोरवाल के नाम है। पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म में 1250 वर्गफीट पर एक और आवास है। नंदिनी के नाम कुशशेड़ा, भिवाड़ी अलवर में एक कॉमशियल प्लॉट भी है।
8. मेडता रोड जोधपुर, सी.बी.आई. और रेलवे विजिलेंस टीम ने प्लेटफार्म निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत करने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते जोधपुर रेल मण्डल के कार्य निरीक्षक कैलाश मीणा को मेडता रोड स्थित उसके आवास से रंगे हाथों पकड़ा था।
9. कोटा में करीब 16 साल पहले 400 रुपये रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने एम.बी.एस. अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी व मेल नर्स को 4-4 साल कठोर कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एमबीएस अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिष्ट विभाग के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी जगहर नगर निवासी डॉ. गोविन्द

गुप्ता व टीचर्स कॉलोनी निवासी मेल नर्स चक्रपाणी गौतम के खिलाफ इजहार अली ने 27 अगस्त 2002 को एसीबी कोटा में शिकायत की थी। उसने कहा था कि उसका भाई साबिर अली एक दिन पहले झागड़े में धायल हो गया था उसे विज्ञान नगर पुलिस ने एम.बी.एस. अस्पताल में भर्ती कराया था। उसकी चोटों की रिपोर्ट के संबंध में जब वह डॉ. गोविन्द गुप्ता से मिला तो उन्होंने साबिर की चोटों को गंभीर बताने की एवज में एक हजार रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में वे 400 रुपये में राजी हो गए।

10. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने हाइवे पर ओवरलोडेड वाहनों से लाखों की अवैध वसूली में एफआईआर दर्ज कर दो परिवहन निरीक्षक और एक बिचौलिया को गिरफ्तार किया था। भूमिगत हुए दो परिवहन निरीक्षक व एक सेवानिवृत्त परिवहन उप निरीक्षक की तलाशी ली एसीबी की दोपहर तक भीलवाड़ा, अलवर और जयपुर में तलाशी अभियान चला जिसमें दर्जनों बैंक खातों की पासबुक, लॉकर, डायरियाँ, पर्चियाँ, और अन्य दस्तावेज जब्त हुए थे। एसीबी ने तीन जगह से 24.38 लाख रुपये बरामद किए थे।

11. 33 हजार फर्जी परिवार बताकर बहुचर्चित 35 हजार खिंटल गेंहू घोटाले में आई.ए.एस. निर्मला मीणा सहित तीन जनों के खिलाफ एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट में एसीबी ने खुलासा किया आईएएस निर्मला मीणा ने ठेकेदार सुरेश उपाध्याय, आटा मिल मालिक स्वरूपसिंह राजपुराहित तथा कनिष्ठ लिपिक अनिल पालीवाल के साथ मिलकर 35 हजार खिंटल गेंहू खुदबुद कर चार करोड़ रुपये का घोटाला किए। खाद्य सुरक्षा योजना का गेंहू राशन की दुकानों पर पहुंचने की बजाय सीधे आटा मिल से पहुंच गया। मिल में 4400 खिंटल गेंहू अपने आटा मिल में पिस कर खुर्द-बुर्द किया। मार्च 2016 में खुर्द-बुर्द किए गए गेंहू की बिक्री पर 5 रुपये प्रति किलो निर्मला मीणा, 4 रुपये प्रति किलो संबंधित राशन डीलर, 11 रुपये प्रतिकिलो लिपिक अशोक पालीवाल तथा शेष 1 का हिस्सा था।

साहित्याकालोकन

राजस्थान पत्रिका में 3 दिसम्बर, 2016 में ए.सी.बी. की कार्यवाही को दर्शाया गया था जिसके अन्तर्गत एक पटवारी को रिश्वत लेते धरा गया था और उसको जेल हुई थी।

राजस्थान पत्रिका के 12 फरवरी, 2017 के एक अंक में एक हेडमास्टर एवं बाबू पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ए.सी.बी. ने उन पर कार्यवाही करते हुए उनको धरा गया था।

दैनिक भाष्कर के 19 जुलाई, 2018 के अंक में आई.ए.एस. अधिकारी को खाद्य सुरक्षा के गेंहू घोटाले में पकड़ा था और उसको जेल हुई थी।

दैनिक भाष्कर में 25 जुलाई, 2018 के प्रकाशन में भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल-2018 के बारे में बतलाया गया है। जिसके अन्तर्गत यह बताया गया है कि

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

अब रिश्वत लेने वाला ही नहीं देने वाला भी दोषी होगा। रिश्वत देने वाले को 7 साल की जेल या जुर्माना देना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार के कारणों एवं उसके परिणामों से आत्मसात कराना है तथा इसके साथ-2 यह भी बताया है कि अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। ऐसा प्रावधान वाला भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल-2018 संसद में पास हो गया है।

अब रिश्वत लेने वाला ही नहीं देने वाला भी दोषी, होगी जेल

अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। ऐसे प्रावधान वाला भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल-2018 संसद में पास हो गया इसमें रिश्वत देने वाले को 7 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना दोनों सजा देने का प्रावधान किया गया है। रिश्वत लेने वाले के लिए 3 साल से 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान हो लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जबाब देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया इस विधेयक से 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन किया है।

ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण

विधेयक में लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त लोकसेवकों को भी यह संरक्षण दिया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल-2018

1. कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई जहाँ तक संभव हो प्रतिदिन की जाएगी।

2. लोकसेवक अपनी संपत्ति के घोषित ब्यौरे में संशोधन कर सकेंगे।
3. सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने के लिए उकसाना अपराध होगा।
4. भ्रष्टाचार के दोषी कर्मचारियों को संपत्ति की कुर्की का ब्यौरा तथा प्रतिक्रियाओं में भी बदलाव।
5. रिश्वत देने वाले को यह बताना होगा की किस बजह से और किन परिस्थितियों में रिश्वत दी।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। जिसने सभी सरकारी कार्यालयों एवं मंत्रालयों में अपने पैर पसार लिये हैं। जिसके कारण देश अन्दर से खोखला होता जा रहा है। जिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल-2018 संसद में पास हो जाने से इस पर कहीं हट तक लगाम लगेगी। सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने के लिए उकसाना भी अपराध माना जायेगा फिर भी आम आदमी को जागरूक होने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान पत्रिका, 3 दिसम्बर, 2016.
2. राजस्थान पत्रिका, भरतपुर, रविवार, 12 फरवरी, 2017.
3. राजस्थान पत्रिका भरतपुर, 1 जनवरी, 2017.
4. राजस्थान पत्रिका भरतपुर, बुधवार, 21 दिसम्बर, 2016.
5. राजस्थान पत्रिका, 31 दिसम्बर, 2016.
6. राजस्थान पत्रिका, 17 फरवरी, 2017.
7. राजस्थान पत्रिका, 5 नवम्बर, 2016.
8. राजस्थान पत्रिका भरतपुर, शुक्रवार, 18 नवम्बर, 2016.
9. राजस्थान पत्रिका, 10 दिसम्बर, 2016.
10. दैनिक भाष्कर, भरतपुर, शुक्रवार, 19 जुलाई, 2018.
11. दैनिक भाष्कर, भरतपुर, 25 जुलाई, 2018.